फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री वेणीराम — **विपक्षी : श्रीमती पेमीबाई**

किस्म मुकदमा – 75 भू.रा. अधिनियम — **पत्रावली संख्या : 14/21**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 17.12.2021 पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प बांसिलया में पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 के नोटिस बाद तामील प्राप्त, आवाजे दिलवाई गई, रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2 अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 3 की ओर से अपील पर कोई जवाब नहीं दिया जाकर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। उभय पक्ष को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। नामान्तरकरण सं. 388 दिनांक 20.04.2015 का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा अपील मय धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। जानकारी में आते ही अपील पेश की गई है जो अन्दर मयाद पाई जाती हैं। अतः धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाता हैं। अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया कि अपीलान्ट के पिता गंगाराम की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरकरण सं. 388 ग्राम पंचायत द्वारा खोला गया हैं, जिसमें रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 को ही गंगाराम के वारिस बताते हुए उनके नाम नामान्तरकरण पारित कर दिया हैं जबकि अपीलान्ट गंगाराम जी का गोदीना पुत्र होकर अपीलान्ट द्वारा गंगाराम जी की सेवा चाकरी की हैं। अपीलान्ट के सभी दस्तावेजों में पिता का नाम गंगाराम दर्ज हैं। अपीलान्ट गंगाराम का वारिस होने से गंगाराम की विरासत में अपना नाम दर्ज करवाना चाहता हैं। उक्त नामान्तरकरण के अवलोकन से नामान्तरकरण ग्राम पंचायत बांसलिया द्वारा दिनांक 20.04.2015 को पारित किया गया हैं। प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण में उक्त नामान्तरकरण ग्राम पचांयत द्वारा पारित किया गया है जिसमें विरासत के आधार पर गंगाराम के वारिसों के नाम नामान्तरकरण पारित किया है, जिसमें अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं करने से अपील प्रस्तुत की गई हैं। अपीलान्ट द्वारा आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पास बुक की प्रति, जीवन बीमा की प्रति पेश किये हैं, जिनमें अपीलान्ट के पिता का नाम गंगाराम दर्ज हैं। चूंकि प्रकरण में ग्राम पंचायत बांसलिया द्वारा नामान्तरकरण संख्या 388 पारित किया है वह त्रुटि पूर्ण हैं जिससे अपीलान्ट को भारी असुविधा का सामना करना पड रहा हैं। ग्राम पंचायत ने उक्त नामान्तरकरण को पारित करने में विधिक भूल की हैं, जिसे सुधारा जाना आवश्यक हैं। अतः उक्त अपील अपीलाण्ट न्यायहित में आंशिक स्वीकार की जाती है। **–: <u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं, कि ग्राम पंचायत बांसलिया द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 388 दिनांक 20.04.2015 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार मावली को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में गंगाराम पिता नवला डांगी के विधिक वारिसों की जांच करते हुए साक्ष्य गवाह बयान आदि के आधार पर नामान्तरकरण पारित करने की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Mayank Manish Date: 2022.01.18 20:15:44 IST Reason: SelfAttested (मयंक मनीष I.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली	